



2026:AHC-LKO:1532

एएफआर

रिट 'ए' संख्या 15238 / 2025

रमेश चंद्र

...याचिकाकर्ता

बनाम

यू.पी. को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड एवं अन्य

...प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: शिशिर चंद्र।

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता: शिरीष कुमार।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह द्वारा प्रदत्त)

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर चंद्र और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री शिरीष कुमार की दलीलें सुनी गईं।
2. यह याचिका प्रतिवादी संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक 15.1.2024 को पारित आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत संघ को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 73,06,857.03 रुपये की राशि वसूल की गई है, साथ ही उन्हें पदावनति की सजा भी दी गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादी विभाग में स्टोर प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, वर्ष 2021 में निलंबित कर दिए गए थे, और उसके बाद एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिन्होंने 7 महीने की देरी से, 23 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र का जवाब दाखिल किया, और चूंकि जांच अधिकारी ने आगे की कार्यवाही नहीं की, इसलिए उन्होंने निलंबन आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को चुनौती देते हुए रिट-ए संख्या 6848/2022 दायर की और आगे सभी परिणामी लाभों सहित बहाली की प्रार्थना की। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद, जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 15.1.2024 को आक्षेपित आदेश पारित किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 15.1.2024 के आदेश को पारित करते हुए दो दंड दिए हैं; पहला, संघ को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए एक निश्चित राशि की वसूली और दूसरा, पद में कमी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां कर्मचारी सेवा विनियम, 1975 (जिसे आगे 'विनियम 1975' कहा गया है) का विनियम 84 विभिन्न दंडों का प्रावधान करता है।

5. विनियम, 1975 का विनियम 84 निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:-

"84. दंड। (i) किसी अन्य विनियम में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई कर्मचारी जो अपने ऊपर आबंटित कर्तव्य का उल्लंघन करता है या आपराधिक अपराध या अधिनियम की धारा 103 के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या इन विनियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करता है, तो उसे निम्नलिखित में से किसी एक दंड से दंडित किया जाएगा:-

(क) निंदा,

(ख) वेतन वृद्धि रोकना,

(ग) श्रेणी चतुर्थ के कर्मचारी (चपरासी, चौकीदार, आदि) पर जुर्माना,

(घ) कर्मचारी के आचरण से सहकारी समिति को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूर्ण या आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए वेतन या सुरक्षा जमा से वसूली,

(ङ) कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से धारित पद या श्रेणी में कमी,

(च) सेवा से निष्कासन, या

(छ) सेवा से बर्खास्तगी।

(ii) दंड के आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी को अनिवार्य रूप से दी जाएगी और इस आशय की प्रविष्टि कर्मचारी के सेवा अभिलेख में की जाएगी।

(iii) निंदा के अलावा कोई दंड तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस न दिया गया हो और उसने या तो निर्धारित समय के भीतर उत्तर न दिया हो या उसका उत्तर दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा असंतोषजनक पाया गया हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv)(क) अभियोगित कर्मचारी को अपराध की गंभीरता के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दंड दिया जाएगा:

बशर्ते कि खंड (i) के उपखंड (ई), (f) या (g) के अंतर्गत कोई दंड अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना नहीं लगाया जाएगा।

(ख) किसी भी कर्मचारी को उस प्राधिकारी के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हटाया या बर्खास्त नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था,

जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ने ऐसे प्राधिकार का पूर्व लिखित प्रत्यायोजन न कर दिया हो।

(v) नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पारित करते समय वेतन वृद्धि की अवधि और क्या इससे भविष्य की वेतन वृद्धि या पदोन्नति स्थगित होगी, यह स्पष्ट करेगा।

6. उपरोक्त प्रावधानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विनियम, 1975 के विनियम 84(i)(डी) में कर्मचारी के आचरण से सहकारी समिति को हुए किसी भी आर्थिक नुकसान की पूर्ण या आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए वेतन या सुरक्षा जमा से वसूली का प्रावधान है, और विनियम 84(i)(ई) पद या श्रेणी में कमी के दंड से संबंधित है। आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है कि दोनों दंड प्रदान किए गए हैं।

7. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यह मामला पूर्ण पीठ तक पहुंचा, जहां संदर्भ पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

"42. अतः, हम संदर्भित प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देते हैं: (1) चूंकि विनियम, 1975 के विनियम 84 और नियम, 1980 के नियम 83 की भाषा में स्पष्ट विरोधाभास है, इसलिए उपरोक्त प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता है, अतः विनियम, 1975 का विनियम 84 नियम, 1980 के नियम 83 पर प्रभावी होगा और केवल निर्धारित दंडों में से एक ही लागू किया जा सकता है, जैसा कि विनियम, 1975 के विनियम 84 में विशेष रूप से कहा गया है। (2) वीरेंद्र कुमार गुसा के मामले में खंडपीठ का निर्णय (उपरोक्त) सही कानून निर्धारित करता है और सत्य नारायण मिश्रा के मामले (उपरोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया अन्यथा दृष्टिकोण, जैसा कि संदर्भ आदेश में भी व्यक्त किया गया है, कानून की सही स्थिति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चूंकि, 'सेवा विनियम, 1975' के विनियम 84 के अनुसार केवल एक ही दंड दिया जा सकता है, और इस मामले में, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 15.01.2024 को पारित आक्षेपित आदेश के माध्यम से एक से अधिक दंड दिए गए हैं, सेवा नियम, 1980' के नियम 83 (1) के मद्देनजर, इसलिए उपरोक्त स्थापित कानून के मद्देनजर, दिनांक 15.01.2024 का दंड आदेश मान्य नहीं है और अवैध है।"

8. उन्होंने तर्क दिया कि प्रश्न का उत्तर देते हुए, पूर्ण पीठ ने भी यह धारित किया था, कि दो दंड नहीं दिए जा सकते, क्योंकि विनियम, 1975 का विनियम 84 केवल एक ही दंड देने का प्रावधान करता है। उन्होंने बताया कि आक्षेपित आदेश से ही यह स्पष्ट है कि दो दंड दिए गए हैं; पहला दंड हानि की भरपाई के लिए राशि की वसूली है और दूसरा पद में कमी है, जो न केवल विनियम 1975 के विनियम 84 के प्रावधान के विरुद्ध है, बल्कि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा स्थापित विधि के भी विरुद्ध है। इसलिए, यह निवेदन है कि आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिरीष कुमार ने उपरोक्त तर्क का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि केवल एक ही दंड दिया गया है, अर्थात् पद में कमी। उन्होंने पत्र पुस्तिका के पृष्ठ 34 पर तीसरे अनुच्छेद की ओर ध्यान दिलाया है और यह प्रस्तुत किया है कि दिनांक 15.1.2024 के आक्षेपित आदेश में उल्लिखित राशि की वसूली वास्तव में विनियम 84 के अंतर्गत परिभाषित दंड नहीं है, बल्कि यह केवल वह राशि है जिसकी गणना याचिकाकर्ता से संघ को हुए नुकसान की भरपाई के लिए की गई है। अतः, उनका निवेदन है कि दिनांक 15.1.2024 के आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि 15.1.2024 के आदेश के माध्यम से, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अर्थात्, संघ के प्रबंध निदेशक ने ₹73,06,857.03 की राशि की वसूली का आदेश पारित किया है और इसके अतिरिक्त एक अन्य दंड, अर्थात् पद में कमी, प्रदान किया गया है।

11. आक्षेपित आदेश का मुख्य भाग इस प्रकार है:-

"अतः एतद् द्वारा उपरोक्त प्रकरण में संघ को हुयी कुल वित्तीय क्षति 73,06,857.03 (रूपये तिहत्तर लाख छः हजार आठ सौ सत्तावन रुपये तीन पैसा) की क्षतिपूर्ति श्री रमेश चन्द्र से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किये जाने के आदेश के साथ उपरोक्त कृत्य/अनिमियतता हनुे श्री रमेश चन्द्र को सहायक / भण्डारनायक के मूल वेतन पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दण्ड के साथ उनके विरुद्ध स्थापित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करते हुये सेवा में बहाल किया जाता है ।

श्री रमेश चन्द्र को जिला जिला कार्यालय, ललितपुर में तैनात किया जाता है ।"

12. जब यह न्यायालय तथ्यों और कानून के आधार पर आक्षेपित आदेश की जाँच करता है, तो यह स्पष्ट है कि 1975 के विनियमों का विनियम 84 दंडों के संबंध में प्रावधान करता है, अर्थात् सहकारी समिति को हुई आर्थिक हानि की भरपाई के लिए वेतन या सुरक्षा जमा से वसूली, जिसका प्रावधान विनियम 84(i) के खंड (डी) में किया गया है, और पद में कमी का प्रावधान विनियम 84(i) के खंड (ई) में किया गया है। उपर्युक्त प्रावधानों को केवल पढ़ने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि विनियम 84(i) के खंड (डी) और (ई) में दिए गए दंडों में से, केवल एक ही दंड दिया जा सकता है।

13. इस न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया है कि पूर्ण पीठ को भेजे गए संदर्भ का भी उत्तर दिया जा चुका है, जिसमें 1975 के विनियमों के विनियम 84 की भाषा में निहित विरोधाभास को स्पष्ट किया गया है; इसमें यह निर्णय दिया गया है कि, 1975 के विनियमों के विनियम 84 के अनुसार, केवल एक ही दंड दिया जा सकता है।

14. दिनांक 15.1.2024 के आक्षेपित आदेश से यह प्रकट होता है कि दो दंड दिए गए हैं— पहला दंड, सहकारी समिति को हानि पहुँचाने की क्षतिपूर्ति के रूप में आदेश में उल्लिखित राशि की वसूली का है, और दूसरा दंड, पद में कमी का है; जो कि 1975 के विनियमों के विनियम 84 के प्रावधानों के अनुसार, तथा इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, अनुमेय नहीं है।

15. उपर्युक्त टिप्पणियों के बाद, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामले को प्रतिवादी संख्या 2 के पास वापस भेजा जा सकता है ताकि वह एक नया आदेश पारित कर सकें, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

16. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 15.1.2024 के आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. मामले को वापस प्रतिवादी संख्या 2, यानी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाता है, ताकि वे जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर एक नया आदेश पारित कर सकें; यह आदेश उस तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए, जिस तारीख को इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, और आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
18. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

7 जनवरी 2026

राम मूर्ति